न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 92/2020

वादीगण–

1. मुकेशसिंह खीचीं पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी–मांजियावास, जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गणपतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. गुमान कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
3. प्रेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. फेफ सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. अनोप कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
6. विकमसिंह पुत्र कल्याणसिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह
8. कंचन कंवर पुत्री कल्याणसिंह
9. दीपसिंह पुत्र माधोसिंह
10. सोनसिंह पुत्र माधोसिंह
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व.मोहनसिंह पुत्र स्व.माधोसिंह
12. पूजा कंवर पुत्री दीपसिंह
13. रंजना कंवर पुत्री दीपसिंह
14. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा गुजरियावास तहसील जायल में खेत खसरा नं. 996 रकबा 0.7932 हैक्टेयर तथा मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से ग) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसका बंट बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 मुकेशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 996 रकबा 0.7932 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 10 सोनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0926 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 11 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत

14/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0927 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 व 13 को अलग भूमि हक हिस्से में आने से उक्त खेताय में हक हिस्सा नहीं रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के बीच आपसी बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने दिनांक 15.10.2020 को उपस्थित न्यायलय ईकबाली जबाब पेश किया जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 द्वारा प्रकरण हाजा में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र मुकेशसिंह पुत्र दीपसिंह के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम गुजरियावास तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 40, 14 प्रदर्श–1, ग्राम गुजरिवास तहसील जायल सम्वत् 2041 से 2044 खाता संख्या 45, 137 प्रदर्श–2 पेश हुवे। मोहनसिंह पुत्र माधोसिंह, सायर कवंर पत्नी सुल्तानसिंह, कल्याणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र पत्रावली संलग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 द्वारा ईकबाली जबाब पेश किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वाद में वर्णित पैराज माफिक एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 द्वारा सहमति स्वरूप ईकबाली जबाब पेश होने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 15.10.2020 अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में

पृथक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा गुजरियावास के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त खेतायों में मौजा गुजरियावास का के खेत खसरा नं. 996 रकबा 0.7932 की सम्पर्णू भूमि वादी के नाम खातेदारी में तथा शेष मुतदाविया वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 1253 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के हक बंट कब्जा काश्त में हिस्से विशेष की भूमि की इस्तदुआ चाही गई है। पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा गुजरियावास के खेत खसरा नंबर 1253 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.01.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.01.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2254 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी मुकेशसिंह, सोनसिंह, महेन्द्रसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि भू.अभि.निरीक्षक जायल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12, 13 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12, 13 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा गुजरियावास एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 996 व 1253 का बंटवाड़ा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गुजरियावास एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 996 व 1253 का बंटवाड़ा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मुकेशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 996 रकबा 0.7932 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 10 सोनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0926 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0927 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 व 13 के मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 से 13 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 92 / 2020

वादीगण–

1. मुकेशसिंह खीचीं पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी–मांजियावास, जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गणपतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. गुमान कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
3. प्रेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. फेफ सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. अनोप कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
6. विक्रमसिंह पुत्र कल्याणसिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह
8. कंचन कंवर पुत्री कल्याणसिंह
9. दीपसिंह पुत्र माधोसिंह
10. सोनसिंह पुत्र माधोसिंह
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व.मोहनसिंह पुत्र स्व.माधोसिंह
12. पूजा कंवर पुत्री दीपसिंह
13. रंजना कंवर पुत्री दीपसिंह
14. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गुजरियावास एवं जानवास तहसील जायल के खेत खसरा नं. 996 व 1253 का बंटवाड़ा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मुकेशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 996 रकबा 0.7932 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

14/05/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 10 सोनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0926 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1253 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा 1.0927 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 व 13 के मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 से 13 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल